10/1/22

बार - बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद भी न तो अपीलार्थी एवं न ही अभिभावक अपीलार्थी उप० आये। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे, बाद आज्ञा दाखिल दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
[illegible] प्रबन्ध अधिकारी,
उदयपुर [illegible]